न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

42

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2248—एक/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17—06—2015 एवं 30—06—15 के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त—फूप तहसील व जिला—भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 807/2014—15/बी—2/निगरानी

.....

बृजेन्द्र सिंह पुत्र स्व.श्री बाके सिंह भदौरिया,
निवासी — भदौरिया कृषि फार्म पुराने रेलवे सिंगनल
के पास भिण्ड (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1— शासन द्वारा पटवारी चांसड़ तहसील व
जिला—भिण्ड (म0प्र0)
2— हनुमन्त सिंह पुत्र अतिबल सिंह सेंगर
निवासी— ग्राम चांसड़, तहसील व
जिला—भिण्ड (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजीव गौतम, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1
श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2

.....

आदेश

(आज दिनांक 3-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त—फूप तहसील व जिला—भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 17—06—2015 एवं 30—06—15 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि आवेदक ने नायब तहसीलदार, वृत्त—फूप तहसील व जिला—भिण्ड के समक्ष मौजा चासड़ तहसील व जिला—भिण्ड के आराजी नं0 311 रकबा 1.210 है0 एवं आराजी नं0 336 रकबा 1.410 है0 भूमि पर राजस्व अभिलेख पर कब्जा लिखे

जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, इस भूमि पर आवेदक का कब्जा पैत्रिक समय से चला आ रहा है । अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र प्रकरण निरस्त करने का दिया था, इस प्रकरण में राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट पुनः तलब हो रही है । आवेदक को जवाब पेश हेतु पेशी दिनांक 06.04.15 नियत थी। उस दिन जवाब पेश नहीं हुआ, उसके बाद पेशी दिनांक 15.05.15 नियत की गई, परन्तु दिनांक 15.05.15 को प्रकरण पेशी में नहीं लिया गया, जिसकी सूचना आवेदक को नहीं दी गई और दिनांक 17.06.15 को आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश किया एवं दिनांक 30.06.15 को अंतिम आदेश हेतु प्रकरण अवलोकनार्थ रखा गया। इस आदेश से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में बिना साक्ष्य एवं कानूनी प्रक्रिया के अंतिम आदेश पारित करना चाहता है इससे आवेदक के विरूद्ध दिनांक 17.06.15 को एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश किया है। यह प्रकरण राजस्व निरीक्षक एवं अन्य साक्ष्य से उक्त नम्बरों पर आवेदक काबिज होकर काश्त कर रहे है अभी दिनांक 05.07.15 को तिलि की फसल बो दी है । वरिष्ठ न्यायालयों की मंशा है कि आवेदक व अनावेदक की साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं बहस श्रवण करने बाद ही अन्तिम आदेश कर सकते है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर इस प्रकरण में साक्षी के कथन नहीं कराना चाहते है इससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.06.15 एवं 30.06.15 निरस्त किया जाकर, निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषकताओं द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर ही उक्त प्रकरण का निराकरण किये जाने तथा निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों व आदेश पत्रिकाओं का अवलोकन किया गया । आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक ने नायब तहसीलदार, वृत्त–फूप तहसील व जिला–भिण्ड के समक्ष मौजा चासड़ तहसील व जिला–भिण्ड के आराजी नं0 311 रकबा 1.210 है0 एवं आराजी नं0 336 रकबा 1.410 है0 भूमि पर राजस्व अभिलेख पर कब्जा लिखे जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इसी दौरान अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र प्रकरण निरस्त करने का दिया

था, इस प्रकरण में राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट पुनः तलब की गई एवं आवेदक को जवाब पेश हेतु पेशी दिनांक 06.04.15 नियत कि। उस दिन जवाब पेश नहीं हुआ, उसके बाद पेशी दिनांक 15.05.15 नियत की गई, परन्तु दिनांक 15.05.15 को प्रकरण पेशी में नहीं लिया गया, कारण अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक व अभिभाषक अनुपस्थित रहे। इसके पश्चात दिनांक 17.06.2015 को आवेदक को अंतिम अवसर प्रदान किया गया, किन्तु दिनांक 17.06.15 को आवेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके उपरांत ही न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त–फूप तहसील व जिला–भिण्ड द्वारा आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश किया । आवेदक ने तर्क में कहा की उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है । यह तर्क असत्य है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पत्रिका का अध्ययन किये जाने पर विदित होता है कि राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट आवेदक को तलब की गई है तथा जवाब हेतु पेशी दिनांक 06.04.15, 15.05.15, 17.06.15 एवं 30.06.15 नियत किया गया किन्तु आवेदक अनुपस्थित रहा । ऐसे में नायब तहसीलदार ने जो आदेश पारित किया है वह सही है। मैं नायब तहसीलदार, वृत्त–फूप तहसील व जिला–भिण्ड के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.15 एवं 30.06.15 सहमत हूँ। क्योंकि प्रकरण में आवेदक ने न तो इस न्यायालय में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये है और न ही अधीनस्थ न्यायालय में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत किये है जिससे की यह साबित हो सके कि उक्त विवादित भूमि आवेदक के अधिपत्य की भूमि है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.15 एवं 30.06.15 स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर